EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 244—252

Dated 3-4-2010

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

सा.का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी अवस्ति मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समृह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित अवस्ति हैं, अर्थात् :---

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम,

			अनुर	मूची		
क नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत्य है
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्वापक व्यापका (मेहुर)	724* (2010) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-621, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार-97; आयकर-01, पर्यावरण और वन-05, *कार्यभार पर आधारित परिवर्तनों के अधीन।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अधिकारि मामले में लागू होंगी			
(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं	लागू नहीं	2 বৰ্ষ		
भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्मित/प्रतिनियुक्ति/आमेल प्रतिनियुक्ति/आमेलन किय	न द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रोन्नित/ । जाना है		
(11)	(12			
प्रोन्नति	प्रोन्नति :	The state of the second		
THE REPORT OF STREET WHICH THE THE STREET WAS AND ADDRESS OF STREET WHICH THE STREET WAS AND ADDRESS OF STREET WAS A	वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9 पांच वर्ष की नियमित सेव (ii) 20 प्रतिशत रिक्तियां व सरकार या राज्य सरकार आयोजित की जाने वाली जाएंगी जिसमें संबंधित उस	(i) 80 प्रतिशत रिक्तियों को उन किनष्ट अभियंताओं (वै.) से भरा जाएगा वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34,800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. के उस ग्रेड पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और (ii) 20 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्री सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान इ आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भ जाएंगी जिसमें संबंधित उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं		
	कर ली है, की प्रोन्नित पर की प्रोन्नित पर भी विचार अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से या दो वर्ष, जो भी कम ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पह	अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पू विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारियों केया जाएगा बशर्ते कि उनके ज्येष्ठ अधिकारियों क ऐसी अर्हक/या पात्रता सेवा की आधी सेवा से अधिक हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्हों ले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड वीक्षा अविध को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है		
यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसका		न परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती ने के संबंध में परामर्श किया जाना है		
(13)	31,000,000	(14)		
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर	संध	। लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।		

[फा. सं. 33/4/2006-एस एंड डी/ई डब्ल्यू-1]

सूरत सिंह, अवर सचिव

नोट : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142, तारीख 24 अप्रैल, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कर दिए गए थे।

_अध्यक्ष

—सदस्य

---सदस्य

—सदस्य

विचार करने के लिए):

(i) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

(ii) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

(iii) निदेशक/उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

(iv) निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 2010

- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President following rules to amend the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Central Electrical Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 2003, namely :
 - esse rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Central ing Group 'B' Service Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Schedule to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Engineering, Group 'B' Services Recruitment Rules, 2003 shall be substituted as under:

		SC	CHEDULE		
Number of	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruitment	t Whether benefits of added years of service admis- sible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ta+(2010) Tentral Partic Work Department Covernment of National Capital Tentary of Deihi-97; Income Tiso-01;	Group 'B', Gazetted,	Pay Band-2 pay scale o Rs. 9300-34 plus grade of Rs. 4600	f 800 pay	Not applicable	Not applicable
Environment	&				
Subject to surfactions dependent of	n		edupid marketi	nate i, ed. leter	Tit senschlausty decision, has decisioners dustrier of Austriannalou, Co
workload.					Trouted to but
and other qu	ualifications re	The state of the state of		prescribed for will apply in the	Period of Probation, if any
3)			(9)		(10)
micable		7.4	Not appl	licable	Two years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(12)

(11)

Promotion

Development

Works Department

(iv) Director of Administration, Central Public

Promotion:

- (i) 80% vacancies to be filled by Junior Engineers (Electrical) in the Pay Band-2 of pay scale of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade; and
- (ii) 20% vacancies to be filled by Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognized by the Central Government or State Government open to Junior Engineer (Electrical) with four years regular service in the grade.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is Circumstances in which the Union Public Service its composition Commission is to be consulted in making recruitment (13)(14)Group 'B' Departmental Promotion Committee Consultation with Union Public Service (for considering promotion) :-Commission not necessary. (i) Additional Director General of Works, Central Chairman Public Works Department (ii) Chief Engineer, Central Public Works Department -Member (iii) Director/Deputy Secretary, Ministry of Urban

-Member

-Member

[F. No. 33/4/2006-S&D/EW-1] SURAT SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 142, dated the 24th April, 2004.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी — मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम 🚃 हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती च्याचन) नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 📷 अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

		The state of the state of	अनु	पूचा		
क का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	na hariyata ka	क्या चयन पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम, 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत्य है
00	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पर्क स्थितः (स्थितः)	केन्द्रीय लोक निर्माण		वेतन बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं	

चर्च को लिए अपेक्षित शैक्षिक और इंदिताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	
1230 110/10-2	27-		

तीं की पद्धित : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित रा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों रा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(11)	(12)
प्रोन्नित	प्रोन्नित : (i) 80 प्रतिशत रिक्तियों को उन किनष्ठ अभियंताओं (सि.) से भरा जाएगा जे वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. के उस ग्रेड पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और
particular section of the section of	(ii) 20 प्रतिशत रिक्तियाँ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान व केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम भरी जाएंगी जिसमें संबंधित उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुक हैं।
PARTON CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T	टिप्पण: यर्द उन किनष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा कर ली है, कि प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नित पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके ज्येष्ठ अधिकारियों के अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/या पात्रता सेवा की आधी सेवा से अधि से या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने किनष्ठों जिन्हों ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है
	Bessey committee and resident and the control of th
यदि कोई विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान है, तो इसव	ा गठन क्या है
(13)	(14)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं

[फा. सं. 33/4/2006-एस एंड डी/ई डब्ल्

सूरत सिंह, अवर संव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142, तारीख 24 अप्रैल, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (1) प्रकाशित कर दिए गए थे ।

_अध्यक्ष

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य

विचार करने के लिए):-

(i) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

(ii) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

(iii) निदेशक/उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

(iv) निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

New Delhi, the 31st March, 2010

G.S.R. 63.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Preschereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Publishers Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 2003, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The Schedule to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Services Recruitment Rules, 2003 shall be substituted as under:

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefits of added years of service admis- sible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Engineer (Civil)	1887*(2010) Central Public Works Department— 1421; Public Works Department, Government of National Capital Territory of Delhi—390; Income Tax—59; Environment & Forest—15; Land and Development Office—02. *Subject to variations dependent on	General Central Service, Group 'B', Gazetted Non- Ministerial	Pay Band-2, Pay Scale of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600.	Selection	avrenos ispánsy of partina, Cental Pala	Not applicable
	workload.			· Hand		seen to be a Lo
ducational direct rec	and other qualification	ations required	qualificati	age and educa ons prescribe uits will apply omotees	ed for	f Probation, if any
	(8)			(9)	(1	(0)
Not ap	olicable		Not	applicable	Two	years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

(11)

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(12)

Promotion	Promotion: (i) 80% vacancies to be filled by Junior Engineers (Civil) in the Pay Band-2 of Pay Scale of Rs. 9300–34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade; and
	(ii) 20% vacancies to be filled by Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognized by the Central Government or State Government open to Junior Engineer (Civil) with four years' regular service in the grade.
record fet? Feathers in the second state of the second state of the second second second second second second second second 1993	Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/or eligibility service or two years,
	whichever is less, and have successfully completed their probation period
	for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

	Departmental Promotion Committee exists, what is omposition		stances in which the Union Public Service ssion is to be consulted in making cent
1	(13)	V IV.	(14)
	p 'B' Departmental Promotion Committee considering Promotion) :—		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
(i)	Additional Director General of Works, Central Public Works Department	Chairman	
(ii)	Chief Engineer, Central Public Works Department	-Member	
(iii)	Director/Deputy Secretary, Ministry of Urban Development	Member	
(iv)	Director of Administration, Central Public Works Department	Member	

[I^F. No. 33/4/2006-S&D/EW-I] SURAT SINGH, Under Secv.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 142, dated the 24th April, 2004.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 244—252

Dated 3-4-2010

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी कियान मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित कियान विकास केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख'सेवा क्योधन) नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :--

			अनुर	मूची		
क का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 कं अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत्य है
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्वयम्ब अभिनेता (स्वृत)	724* (2010) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-621, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार-97; आयकर-01, पर्यावरण और वन-05, *कार्यभार पर आधारित परिवर्तनों के अधीन।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है				
(8)	(9)	(10)				
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष				
भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्व भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत		के मामले में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/				
(11)	(12)					
प्रोन्ति १९५३ - १०७ विकासिक प्रति विकिन्न , गाँवको व	प्रोन्नित : (i) 80 प्रतिशत रिक्तियों को उन किनष्ट अभियंताओं (वै.) से भरा जाएगा जे वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34,800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. के उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और					
हैं के हम प्रशासिक के मूर्ट के मार्ट में का	(ii) 20 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय लोक रि सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत आयोजित की जाने वाली सीमित विभा	(ii) 20 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरें जाएंगी जिसमें संबंधित उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।				
The response of the second sec	टिप्पण-यदि उन किनष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूर् कर ली है, की प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारिय की प्रोन्नित पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके ज्येष्ठ अधिकारियों के अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/या पात्रता सेवा की आधी सेवा से अधिक से या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने किनष्ठों जिन्हों ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है					

यदि कोई विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान है, तो इसका गठन	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के संबंध में परामर्श किया जाना है		
(13)	(14)		
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए):	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।		
(i) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	. —अध्यक्ष		
(ii) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य		
(iii) निदेशक/उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	—सदस्य		ah majakita
(iv) निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य		

[फा. सं. 33/4/2006-एस एंड डी/ई डब्ल्यू-1]

सूरत सिंह, अवर सिंच

नोट : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142, तारीख 24 अप्रैल, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) प्रकाशित कर दिए गए थे।

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 2010

- G.S.R. 62.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Department, Central Electrical Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 2003, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The Schedule to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Electrical Engineering, Group 'B' Services Recruitment Rules, 2003 shall be substituted as under:

			SC	HEDULE		
Name of	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefits of added years of service admis- sible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ectrical)	724*(2010) Central Public Works Department- 621; Public Works Department, Government of National Capital Territory of Delhi-97; Income Tax-01; Environment &	Ministerial.	Pay Band-2, pay scale of Rs. 9300-3480 plus grade pa of Rs. 4600.		Not applicable	Not applicable
	Forest-05					
	*Subject to variations dependent on workload.					
ducationa frect recru	l and other qual	ifications requ	qu dir	alifications p	d educational rescribed for ill apply in the es	Period of Probation, if any
	(8)	TANGER S		(9)	a line	(10)
Nota	pplicable			Not applie	cable	Two years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

methods	Tous
(11)	(12)
Promotion	Promotion:
	(i) 80% vacancies to be filled by Junior Engineers (Electrical) in the P Band-2 of pay scale of Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 w five years' regular service in the grade; and
prison as policy	(ii) 20% vacancies to be filled by Limited Departmental Commission

(ii) 20% vacancies to be filled by Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognized by the Central Government or State Government open to Junior Engineer (Electrical) with four years regular service in the grade.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/or eligibility service or two year whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

!fa I	Departmental Promotion Committee exists, what is omposition	100 PA-	Circumstances in which the Union Public Server Commission is to be consulted in making recruitment
	(13)		(14)
Grou (for o	up 'B' Departmental Promotion Committee considering promotion) :—		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
(i)	Additional Director General of Works, Central Public Works Department	Chairman	
(ii)	Chief Engineer, Central Public Works Department	Member	
(iii)	Director/Deputy Secretary, Ministry of Urban Development	Member	
(iv)	Director of Administration, Central Public Works Department	Member	

[F. No. 33/4/2006-S&D/E

SURAT SINGH, Under Sen

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 142, dated the 24th April, 2004.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

ना.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम 📑 हैं, अर्थात् :---

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 चुची के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

	38131 1678 15	AME IN PROPERTY	अनु	सूची .			
= नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती	के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम, 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत्य है
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
高 (कंन्द्रीय लोक निर्माण		वेतन बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं		लागू नहीं

के लिए अपेक्षित शैक्षिक और ब्ह्रताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अविध, यदि कोई है
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष
230 UD/10-2	- 01-	

भर्ती की पद्धित : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(11)	(12)
्रोन्नति । -	प्रोन्नित : (i) 80 प्रतिशत रिक्तियों को उन किनष्ठ अभियंताओं (सि.) से भरा जाएगा जो वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. के उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और
	(ii) 20 प्रतिशत रिक्तियाँ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी जिसमें संबंधित उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।
A STATE	टिप्पण: यदि उन किनष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, िक प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नित पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/या पात्रता सेवा की आधी सेवा से अधिक से या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने किनष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान है, तो इसका गठन क्या है	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के संबंध में परामर्श किया जाना है
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए):-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं
(i) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —अध	मक्ष
(ii) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	स्य
(iii) निदेशक/उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय —सद	स्य
(iv) निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सद	स्य

[फा. सं. 33/4/2006-एस एंड डी/ई डब्ल्यू-1]

सूरत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142, तारीख 24 अप्रैल, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कर दिए गए थे।

New Delhi, the 31st March, 2010

G.S.R. 63.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 2003, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The Schedule to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Services Recruitment Rules, 2003 shall be substituted as under:

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for dire recruitment	whether benefits of added years of service admis- sible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Engineer (Civil)	1887*(2010) Central Public Works Department— 1421;	General Central Service, Group 'B', Gazetted	Pay Band-2, Pay Scale of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600.	Selection	Not applicable	Not applicable
	Public Works Department, Government of National	Non- Ministerial				
	Capital Territory of Delhi-390;					
	Income Tax-59; Environment &					
	Forest–15; Land and Development					
	Office-02. *Subject to variations					
	dependent on workload.			Transaction of the	dypt kodalistica w	ng su an hag duah 1974 Leo balan 1984 bersala
-				a Delyk		
Educational or direct rec	and other qualificeruits	ations required	qualifica direct rec	age and eductions prescriberuits will appromotees	bed for	od of Probation, if any
	(8)	7		(9)		(10)
Notan	plicable		N	ot applicable	CYST TIE	Two years

Method of recruitment: Whether by direct
recruitment or by promotion or by
deputation/absorption and percentage
of vacancies to be filled by various
methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

	(11)		(12)
	Promotion	Band-2 of Pay Sca	s to be filled by Junior Engineers (Civil) in the Pay ale of Rs. 9300–34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 with
		(ii) 20% vacancie Examination to be Training Institute	es service in the grade; and es to be filled by Limited Departmental Competitive e conducted by the Central Public Works Department or any other Institution duly recognized by the Central the Government open to Junior Engineer (Civil) with four vice in the grade.
	and the second of the second o	are being consider provided they are by more than half whicheyer is less, for promotion to t	ors who have completed their qualifying/eligibility service ed for promotion, their seniors would also be considered not short of the requisite qualifying/eligibility service of such qualifying/or eligibility service or two years, and have successfully completed their probation period the next higher grade along with their juniors who have
		already completed	such qualifying/ eligibility service.
	Departmental Promotion Committee exist omposition	300 1870	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
		300 1870	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making
Grou	omposition	s, what is	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Grou	omposition (13) up 'B' Departmental Promotion Commit	s, what is	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (14) Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Grou (for	(13) up 'B' Departmental Promotion Commit considering Promotion):— Additional Director General of Works,	s, what is tee Central —Chai	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (14) Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Grou (for (i)	(13) Ip 'B' Departmental Promotion Commit considering Promotion):— Additional Director General of Works, Public Works Department	tee Central —Chai Department —Me	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (14) Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 33/4/2006-S&D/EW-1] SURAT SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 142, dated the 24th April, 2004.